यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

मुख्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के माह 12/2015 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 21.08.2018 से 01.09.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.12.2015 से 28.12.2015 तक श्री बी.डी.सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2011 से 11/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**- कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय है जिसमे उत्तराखंड राज्य मे स्थापित उधोगों मे प्रदूषण नियंत्रण से संबन्धित स्थापना एवं संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (CTE/CTO) प्रदान किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य**	**बचत**
	स्थापना	**गैर**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2015-16	0.00	0.00	334.00	297.16	1281.00	475.05	-	842.79
2016-17	0.00	0.00	690.00	289.85	692.00	454.57	-	637.58
2017-18	0.00	0.00	1150.00	355.04	1696.50	461.93	-	2029.53
2018-19 upto July. 2018	0.00	0.00	-	154.40	-	397.38	(-) 551.78	

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2015-16	ENVIS/ NAMP/ NWMP		48.37	56.04	-	-
2016-17		-	12.49	61.90	-	-
2017-18		-	174.92	47.93	-	-
2018-19 upto July 2018		-	4.03	4.12	-	-

उपरोक्त योजना मे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्तर से धनराशि प्राप्त होती है

(iii) इकाई द्वारा बजट प्रबंधन स्वतः श्रोतों-उधोगों से प्राप्त सहमति शुल्क, जल उपकर एवं अन्य श्रोतों के द्वारा किया जाता है। इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. चेयरमैन
2. सदस्य सचिव
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
4. क्षेत्रीय अधिकारी- पर्यावरण अभियन्ता/ वैज्ञानिक अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** मुख्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सदस्य सचिव उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 एवं 06/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-1 - विभागीय उदासीनता के कारण रुपए 8820000.00 का निरर्थक व्यय।

Scrutiny of the files related to purchasing of the Video Conference System revealed that the Addl. Chief Secretary Uttarakhand state government, vide his note dated 14-06-2016 had decided to take the initiative the Ease of Doing Business of Department of Industrial Promotion and Policy (DIPP) Government of India, forward and rope in Pollution Control Board.
As per his initiative, "the Board may go in for Video Conferencing Link between the Head Office and the regional offices. Further, all our inspecting officials will be given 4G enabled tablets with inspection menus in-built in the tablets. The tablets will give GPS locations of the site along with site photos. All tabs would also be VC enabled. In case the factory representative wants to converse and seek clarification from HO, he can do so from the inspecting official's tab or this facility will be available to him at our Regional Office as per his choice. Such discussion will be recorded for complete transparency. VC facility shall also be provided to 2 representatives each of leading trade associations in the state on their mobile devices. Regular interaction over VC can be arranged between factory officials & trade association representatives with PCB officials in presence of Chairman and Member Secretary for quick addressal of their problems and clarifications to their queries. The board may go in for procurement of Full HD video conferencing through DGS&D Rate Contract. The Board can have fixed installation at 4 RO's and 1 HO and mobile device based for all our employees and representatives of leading trade organisations. For tablets the Board may procure from the local market. It shall initially procure about 15 nos of 8" Android tablets with facility of SIM & 4G enabled. Parallely, the Board will get a customised Android App developed for our inspection menus".

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे उक्त क्रय हेतु अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार क्रय समिति का गठन किया गया जिसके निम्न सदस्य थे –

1- अध्यक्ष उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अध्यक्ष

2- सदस्य सचिव उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सदस्य

3- श्री सुंदर लाल सेमवाल महाप्रबंधक सिदकुल देहारादून सदस्य

4- श्री एल के मिश्रा प्रबन्धक आई टी सिडकुल देहारादून सदस्य

Following four firm were registered for sale of Video Conferencing System on DGS&D.
1- M/s Ezee Connect Telecom Pvt. Ltd., (Brand Vidyo)
2- M/s Inspira Enterprises IndialPvt. Ltd., (Brand Polycom)
3- M/s Intellicon Pvt Ltd. (Brand Lifesize)
4- M/s Sec Communications Pvt. Ltd. (Brand Avaya)
The said purchasing committee had decided to purchase the video conferencing system of the Vidyo Brand in accordance with DGS&D rate. The rate details are given below—

Item description	qty	Unit price in Rs.	Total price in Rs.
Multiport Conferencing Bridge for High Definition VC for upto 25 (item no. 38 DGS&D rate contract)	1	73,00,000.00	7300000.00
Speakers Phone (Item no. 26 DGS&D rate contract)	10	20000.00	200000.00
Video Replay (Item no. 19 DGS&D rate contract)	1	900,000.00	900000.00
		Total	8400000.00
		VAT @5%	420000.00
		Grand Total	**8820000.00**

As per recommendation of the purchase committee the DGS&D rate was valid upto 30.06.2016 and budget for the said purchase was to be approved by the Board in next meeting.
Accordingly, the M/s EZee Connect Telecom Pvt. Ltd. New Delhi being the sole seller of Vidyo registered on the DGS&D, was selected and an agreement was entered into with the local seller M/s Natraj Engineering Service, Old Survey Road, Dehradun of the M/s EZee Connect Telecom Pvt. Ltd. New Delhi to provide the said system.

Further, scrutiny of the documents placed on file of **Video Conferencing files** revealed that, as envisaged under the said project, no interaction over VC was arranged between factory officials & trade association representatives/industrial units with PCB officials for providing the benefits of Ease of Doing Business initiative. *This was due to non-development of the said Android App and lack of taking initiative to develop the connectivity between the industrial units/ representative of the industrial associations and PCB officials and not purchasing the required 15 tabs. Consequently, the envisaged objective could not be achieved and it further resulted in unfruitful expenditure of Rs.8820000.00.*

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर बोर्ड ने उत्तर दिया कि उक्त प्रोजेक्ट पर कोई फॉलोअप नहीं होने के कारण कथित 15 tabs एवं Android App का डेव्लपमेंट नहीं हो सका। तथापि उक्त के संबंध मे पुनः बोर्ड की आगामी बैठक मे प्रस्ताव लाकर जांच कराई जाएगी एवं उक्त unfruitful expenditure के संबंध मे उत्तरदायित्व निर्धारण कर सुधारात्मक उपायों के साथ लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

बोर्ड का उत्तर लेखा परीक्षा के प्रेक्षण को स्वयं संपुष्ट करता है। प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1-- निरर्थक व्यय रु. 2926064. 00

कार्बेट टाइगर रिजर्व राम नगर नैनीताल को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदत्त सहायता से संबन्धित पत्रावली की जांच मे पाया गया कि कार्यालय मुख्य वन संरक्षक /निदेशक , कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड रामनगर के पत्रांक 114/6-22 दिनांक 17-03-2016 द्वारा विभिन्न मदों मे कुल 1 करोड़ की धन राशि सहायतार्थ मांगी गयी थी और बोर्ड द्वारा 1 करोड़ की धनराशि को प्रदान करने पर सहमत होते हुए 50 लाख की धन राशि टाइगर कंजर्वेसन फॉर सी टी आर के खाते मे जमा करा दी गयी थी (चेक संख्या 940587 खाता संख्या 85955190424) । सदस्य सचिव यूईपीपीसीबी के पत्रांक यूईपीपीसीबी/एच ओ /जन जागरूकता /2015-16/10081-1960 दिनांक 30-03-2016 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण सुदृढ़ किए जाने हेतु निम्न कार्य किए जाने थे –

1- पाँच बोलेरों कैम्फर वाहन तथा वायु एवं जल प्रदूषण मापक यंत्र का क्रय किया जाना
2- पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत टाइगर रिजर्व एवं निकटवर्ती क्षेत्रो मे जन जागरूकता, जन संपर्क अभियान एवं समन्वय स्थापित किया जाने हेतु योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को परिश्रमिक भुगतान करना।
3- टाइगर रिजर्व क्षेत्र मे ठोस अपशिस्त के प्रबंधन एवं प्रभावी निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करना ।
4- पर्यावरण की दृष्टि से अन्य कार्य एवं टाइगर रिजर्व के संरक्षण हेतु प्रभवी कार्य योजना अमल मे लाना ।
5- बोर्ड को समय समय पर कार्य प्रगति से अवगत कराना।
6- द्वितीय किश्त का भुगतान संतोषजनक रूप से बोर्ड को आड़ीटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र मय संलग्नकों एवं व्यय विवरण तथा कैस बुक लेजर प्रस्तुत करने के उपरांत किया जाएगा ।

निदेशक कार्बेट टाइगर रिजर्व राम नगर नैनीताल के पत्रांक 1804/9-1 (12) दिनांक 7-03-2018 के अनुसार रुपए 2926064. 00 की पाँच बोलेरों वाहन क्रय किए गए और शेष धनराशि रुपए 2073936.00 दिनांक 14-03-2018 चेक संख्या 782179 के द्वारा बोर्ड को वापस को वापस की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा अपेक्षित उपरोक्त छ : बिन्दुओं से संबंधीत कार्यों को सी टी आर द्वारा कराये जाने के संबंध मे कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी जिसके कारण समस्त अपेक्षित कार्य जोकि एक दूसरे से संबन्धित हैं , दो वर्षों के बाद भी शुरू नहीं किए जा सके। इस प्रकार बोर्ड द्वारा आदेशित एवं अपेक्षित कार्य नहीं होने की दशा मे विभिन्न नियमो एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी और व्यय की धनराशि रुपए 2926064. 00 निरर्थक हो गयी । उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों या व्यक्तियों को समय समय पर दिये जा रहे धनराशियों को निर्गत करने से पूर्वबोर्ड के पास कोई guidelines भी उपलब्ध नहीं थी ।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर बोर्ड मुख्यालय ने उत्तर दिया कि लेखा परीक्षा द्वारा मांगी गयी सूचना सीटीआर से प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि लेखा परीक्षा द्वारा उठाए गए समस्त बिन्दु पर उत्तर यूईपीपीसीबी को ही देना था। परंतु उक्त कार्यालय की कार्य के प्रति उदासीनता के कारण व्यय धनराशि से अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी और परिणामस्वरूप रुपए 2926064. 00 का व्यय निरर्थक हो गया ।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर- 2: उद्योगों से जल उपकर के रुप में ₹ 46.02 लाख की धनराशि अप्राप्त रहना एवं जल उपकर के अपील संबंधी 10 मामलों का यथा सम्भव शीघ्रता के साथ निपटारा कर इससे कुल धनराशि ₹ 383.43 लाख की प्राप्ति करना।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा-6 के अनुसार जल उपकर का निर्धारण किया जाएगा एवं एक निर्धारित तिथि को उक्त को राज्य सरकार को भुगतान/जमा करने हेतु एक जल उपकर निर्धारण आदेश निकाला जाएगा। जल उपकर अधिनियम, 1977 के अनुपालन में जल उपकर का निर्धारण एवं प्राप्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड(यूईपीपीसीबी) द्वारा किया जाता है।

कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए जल उपकर संबंधी अभिलेखो की जांच में पाया गया है कि वर्ष 2017-18 तक कुल 63 उद्योगों का ₹ 16.51 लाख एवं वर्ष 2018-19 तक कुल 28 उद्योगों का रुपया 29.51 लाख की धनराशि प्राप्त किया जाना लंबित था इस प्रकार लेखापरीक्षा तिथि तक 91 उधोगों से कुल ₹ 46.02 लाख की धनराशि जल उपकर के रूप में बोर्ड द्वारा प्राप्त की जानी लंबित थी। इसके अतरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आ.प.सं। Q-17011/1/2017-CPW दिनांक: 24-07-2017 द्वारा जल उपकर से संबंधित निम्न बिन्दुओ पर बोर्ड की कार्रवाई लंबित थी:-

1. प्राप्त किए गये जल उपकर को दिनांक 30-06-2017 तक Consolidated Fund of India(CFI) मे प्रेषित(remitted) किया जाए एवं राज्य बोर्ड को जल उपकर के अदायगी(reimbursement) के लिए उपयोग प्रमाणपत्र(utilization certificate) मंत्रालय को प्रेषित किया जाना।
2. वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक के जल उपकर बकाया का निर्धारण कर उपलब्ध कराये।
3. जल प्रदूषण योजना मे निवारण तथा नियंत्रण के लिए आवश्यकता वार्षिक बजट का (Budgetary) आकलन करे एवं 14th वित्तीय आयोग(वर्ष 2020तक) के लिए आवश्यक खर्चो का आकलन कर मंत्रालय को सूचित करे।

उक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा पूंछे जाने पर इकाई ने तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए जल उपकर की प्राप्ति के उत्तर मे कहा कि सभी मामलों मे पुनः कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा तथा उपकर निर्धारण की प्रक्रिया जारी है पुरा निर्धारण होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई से अवगत कराया जायेगा।उत्तर मान्य नही है क्योकि उक्त सभी मामलो मे एक वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुके है।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम,1977 की धारा-6 मे उपकर का निर्धारण किया जाना स्पष्ट किया गया है एवं एक निर्धारित तिथि तक उक्त उपकर को जमा करने का निर्देश दिया गया तथा उपरोक्त अधिनियम की धारा-13 के अनुसार उपरोक्त अधिनियम की धारा के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश या धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित(Imposing Penalty) करने वाले किसी आदेश से व्यथित(aggrieved)कोई व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण अपील कर सकेगा | धारा (13) की उपधारा (3) मे स्पष्ट कहा गया है की अपील प्राधिकारी (Appellate Authority) उस विषय मे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अपील का यथासंभव शीघ्रता के साथ निपटारा करेगा।

कार्यालय के जल उपकर प्राप्ति संबंधी अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि इस कार्यालय मे माह 03/2015 से पूर्व के जल उपकर प्राप्ति के 10 मामले ऐसे थे जिनसे कुल धनराशि ₹ 383.43 लाख का प्राप्त किया जाना अपील प्राधिकारी के स्तर पर लंबित था उक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा पूंछे जाने पर इकाई ने तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि

करते हुए उत्तर मे कहा कि इस संबंध मे त्वरित कार्रवाई कर बोर्ड मे प्रस्ताव लाया जाएगा उत्तर मान्य नही है क्योकि उक्त सभी मामलो मे तीन वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुके है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर:3- रू. 428531 मूल्य की सामग्रियों का क्रय उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के अनुसार नहीं किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति(प्रोक्योरमेंट)नियमावली 2017 अध्याय 2(सामग्री) बिंदु संख्या 34 के अनुसार रु 25,000/- से अधिक तथा रु 2,50,000/- तक की लागत की सीमा में आने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समयक रूप से गठित समुचित स्तर के तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जाना अनिवार्य है, जिसमें क्रय समिति दरों की गुण्वत्ता तथा विशिष्ट्ता सुनिश्चित करने के लिये बाज़ार का सर्वेक्षण और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करने के उपरांत किया जाना था तथा उक्त अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट)नियमावली के अध्याय 2(सामग्री) बिंदु संख्या 35 के अनुसार Rs 250000/- से अधिक की धनराशि की समस्त समग्रियाँ एवं सेवाएँ इलेक्ट्रानिक माध्यम से अधिप्राप्ति (ई–प्रोक्योरमेंट) मे समस्त विभागो मे अधिप्राप्ति की जाएगी। कार्यालय अभिलेखों की जांच के दौरान निम्न लेखापरीक्षा आपत्तिया संज्ञान में आयी-

(1) यह पाया गया कि दिनांक 25-07-2018 को क्रय की गयी वस्तुएं,36 नग Seminar leather bags जिनका मूल्य 64260/- तथा Syska – Power Bank 10000 MAHX-100 ,20 नग जिनका मूल्य रु 34,182/- का क्रय तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति के अनुसार नही किया गया है।

(2) यह पाया गया कि दिनांक 15-03-2017 को Samsung mobile Phone C900FZKD-black invoice no 2985 जिसका मूल्य 36000/- नकद भुगतान द्वारा क्रय किया गया। उक्त मोबाइल क्रय करने मे तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति के अनुसार नही किया गया है।

(3) माह 05/2017 की जांच मे voucher संख्या 80 दिनांक 29/05/2017 मे 35340/- के भुगतान तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति के अनुसार नही किया गया है।

(4) यह पाया गया कि दिनांक 08-02-2017 को 244744/- लागत का Mahindra silent DG set 10KVA तथा दिनांक 16/02/2017 को क्रय किए गए DG set installation हेतु 49345/- का भुगतान ई – प्राक्योरमेंट द्वारा नहीं किया गया। DG Set का क्रय तथा DG Set installation का कार्य दोनों एक ही सेवा मे आते हैं। दोनों कार्य की लागत 250000/- से अधिक होने क कारण क्रय ई – प्राक्योरमेंट द्वारा करना अनिवार्य था।

उक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा पूंछे जाने पर इकाई ने तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए उत्तर मे कहा कि सभी मामलों मे भविष्य मे प्रोक्योरमेंट नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा उत्तर मान्य नही है क्योकि उक्त सभी मामलो मे एक वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुका है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर- 4: ₹ 37.22 लाख धनराशि का असमायोजित रहना।

कार्यालय की Auditor's Report for the year ended March 31st, 2017 Annexure E: Sundry Debtors(विविध देनदार) मे दो देनदार 1. श्री अमित आनंद तिवारी को रुपया 35,72,500/- एवं 2. श्री अरविंद वशिष्ठ को रुपया 1,50,000/- का विवरण के असमायोजित रहने एवं किन आदेशो और कार्यो के लिए यह अग्रिम दिये गए थे उक्त के संबंध मे लेखा परीक्षा द्वारा पूंछे जाने पर इकाई ने उत्तर मे कहा कि इस संबंध मे जांचोपरांत कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा उत्तर मान्य नही है क्योंकि उक्त सभी मामलो मे तीन वर्ष से ज्यादा का समय व्यतीत हो चुके है।

अतः उक्त प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:5- संविदा कार्मिक को रुपया 6.04लाख का अनियमित भुगतान।

कार्यालय मे कार्यरत संविदा कार्मिक श्री प्रकाश देवरानी ,लेखाकार(संविदा) की संविदा संबंधी पत्रावली की जांच मे यह पाया गया है कि-

1. कार्यालय ज्ञाप सं०यू०ई०पी०पी०सी०बी /एच०ओ०/सा०-199(III)2017/4085-756 दिनांक:07-09-17 द्वारा श्री प्रकाश देवरानी का दिनांक : 01-04-17 से दिनांक: 31-03-18 तक नवीन संविदा अनुबंध की शर्तो के साथ संविदा पर आबद्ध किया गया एवं निर्देश दिया गया कि वे संविदा हेतु निर्धारित अनुबंध पत्र को नान जुडिशियल स्टांप पेपर मे नोटराइन्ड नवीन अनुबंध पत्र एक सप्ताह के अंदर कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2. कार्यालय ज्ञाप सं०यू०ई० पी० पी० सी० बी /एच०ओ०/सा०-199(III)2018/7292-1443 दिनांक:12-01-18 द्वारा श्री प्रकाश देवरानी को लेखा कार्यो के निर्वहन हेतु दिनांक 01-01-2018 से 31-12-2018 तक संविदा अनुबंध की शर्तो के साथ संविदा मे आबद्ध किया गया था।

उपर्युक्त दोनों अनुबंध-पत्रो की जांच मे निम्न तथ्य एवं लेखापरीक्षा आपत्तिया संज्ञान में आयी-

(i) कार्यालय ज्ञाप सं०यू०ई०पी०पी०सी०बी /एच०ओ०/सा०-199(III)2017/4085-756 दिनांक:07-09-17 के अनुपालन मे आवधि दिनांक : 01-04-17 से दिनांक: 31-03-18 तक अनुबंध-पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ii) कार्यालय ज्ञाप सं०यू०ई० पी० पी० सी० बी /एच०ओ०/सा०-199(III)2018/7292-1443 दिनांक:12-01-18 के संबंध मे तैयार अनुबंध-पत्र अवैध था क्योकि श्री प्रकाश देवरानी द्वारा तैयार इस अनुबंध-पत्र पर बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नही थे।

(iii) कार्यालय ज्ञाप सं०यू०ई० पी० पी० सी० बी /एच०ओ०/सा०-199(III)2017/4085-756 दिनांक:07-09-17 द्वारा दिनांक : 01-04-17 से दिनांक: 31-03-18 तक संविदा अनुबंध होते हुए किन कारणो से दिनांक 01-01-2018 से 31-12-2018 तक के लिए एक अन्य नवीन संविदा अनुबंध किया गया।

(iv) कार्यालय ज्ञाप सं०यू०ई० पी० पी० सी० बी /एच०ओ०/सा०-199(III)2018/7292-1443 दिनांक:12-01-18 द्वारा श्री प्रकाश देवरानी को किस पद पर संविदा मे आबद्ध किया गया था यह इस कार्यालय ज्ञाप मे स्पष्ट नही है।

(v) श्री प्रकाश देवरानी संविदा कार्मिक को किस अनुबंध-पत्र के आधार पर माह 04/2017 से 07/2018 तक रुपया 6,04,125/- का वेतन भुगतान किया गया।

उपर्युक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा पूंछे जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को सत्यापित करते हुए उत्तर मे कहा कि सभी बिन्दुओ पर विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- विभागीय उदासीनता के कारण रुपए 6082000.00 की वसूली नहीं होना।

1- यूईपीपीसीबी मुख्यालय के लेखा परीक्षा के दौरान जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि नगर पालिका कोटद्वार को उच्च न्यायालय नैनीताल तथा शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन मे कूड़ा निस्तारण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए जिसके अनुपालन मे जैविक तथा अजैविक कूड़ा को अलग अलग कूड़ादानों मे रखे जाने थे। उक्त हेतु बोर्ड द्वारा कुल रुपए 4582000.00 (ch 984471 IOC दिनांक 11.05.2017)निम्न शर्तों के अधीन नगर पालिका परिषद को अवमुक्त की गयी ।

a- नगर पालिका परिषद कोटद्वार द्वारा शासन से धनराशि प्राप्त होने पर यह धनराशि बोर्ड को वापस कर दी जाएगी ।

b- नगर पालिका परिषद कोटद्वार द्वारा जो भी सामाग्री क्रय की जाएगी उस प्रक्रिया मे उत्तराखंड प्रॉक्यूरमेंट रूल का पालन किया जाएगा ।

c- क्रय किए गए समस्त उपकरणो का रख रखाव नगर पालिका परिषद कोटद्वार द्वारा किया जाएगा ।

d- नगर पालिका परिषद कोटद्वार द्वारा उक्त धन राशि हेतु पृथक से अकाउंट बनाकर उक्त का uc बोर्ड को प्रेषित किया जाएगा ।

सदस्य सचिव के पत्रांक दिनांक 27.11.2017 के सापेक्ष नगर पालिका परिषद कोटद्वार द्वारा
उसके पत्र दिनांक 27.01.2018 के द्वारा व्यय का विवरण देते हुए सम्पूर्ण धनराशि व्यय होने पर यूसी देने और नगर पालिका परिषद कोटद्वार के बोर्ड का गठन होने पर धनराशि के वापस करने के संबंध मे सूचना दी जाएगी , से अवगत कराया ।

परंतु जनवरी 2018 के उपरांत बोर्ड द्वारा उक्त धनराशि की UC तथा धनराशि को वापस प्राप्त करने के संबंध मे कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

संप्रेक्षा मे इंगित किए जाने पर बोर्ड ने उत्तर दिया की कार्यालय द्वारा अपेक्षित दस्तावेजो की प्राप्ति हेतु पुनः पत्र प्रेषित किया जाएगा ।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योकि बोर्ड द्वारा प्रभावी प्रयास नहीं किए गए न ही धनराशि प्रदान करते समय कोई पेनाल्टी प्राविधान किया गया ।

2- इसी प्रकार मूख्यसचिव /बोर्ड के अध्यक्ष के आदेशानुसार प्रमुख वन संरक्षक , नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन उत्तराखंड देहरादून को राष्ट्रिय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली मे आयोजित वादो की पैरवी हेतु शुल्क के भुगतान हेतु Rs 15.00 लाख की धनराशि प्रमुख वन संरक्षक देहरादून को उधार स्वरूप दिनांक 06.03.2017 को उपलब्ध कराई गयी। यद्यपि उक्त वादों मे बोर्ड से संबन्धित कोई वाद नहीं था। उधार प्रदत्त धनराशि पर कोई बयाज भी आरोपित नहीं था । उल्लेखनीय है कि विभिन्न संस्थाओं को उधार देने संबंधी कोई दिशा निर्देश भी नहीं प्रख्यापित थे । उक्त धन राशि लेखा परीक्षा तिथि तक अप्राप्त थी ।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर बोर्ड मुख्यालय ने उत्तर दिया कि उक्त धनराशि के वापस प्राप्त करने के संबंध मे पत्र प्रेषित किया जाएगा ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोर्ड द्वारा उक्त धनराशि को वापस प्राप्त करने के संबंध मे कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था जैसा कि इस तरह के अन्य प्रकरण मे उदासीनता दर्शाई गयी ।

उक्त दोनों प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-2 : ₹ 194024 मूल्य की सामाग्री का कार्यालय उपयोग मे नहीं लाया जाना।

इकाई के स्टॉक रजिस्टर की जांच के उपरांत यह पाया गया कि श्री रामास्वामीन चेरमेन(भूतपूर्व), उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ₹ 36000 मूल्य का मोबाइल सेट निर्गत किया गया था परंतु उक्त अधिकारी का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत उक्त मोबाइल सेट इकाई को वापस प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता है एवं इकाई द्वारा मोबाइल सेट प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास भी नहीं किए गए। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे कहा गया कि उक्त मोबाइल सेट वापस लेने हेतु कार्यवाही कार्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर की जांच मे यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा माननीय वन मंत्री उत्तराखंड सरकार, के आवास पर ₹ 158024 मूल्य के CCTV Camera, Chair एवं Inverter निर्गत किया गया है, उक्त वस्तुएँ का माननीय वन मंत्री उत्तराखंड सरकार, के आवास पर निर्गत करने से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबन्धित उद्देश्यों की पूर्ति होना स्पस्ट प्रतीत नहीं होता है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे कहा गया कि विभागीय कार्यों की समीक्षा एवं बैठक आदि कार्यों के सुचारु संचालन हेतु माननीय मंत्री पर्यावरण के कार्यालय मै व्यस्थित है। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उपरोक्त सामग्री का कार्यालय उपयोग मे लाये जाने के संबंध मे कोई साक्ष्य / अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए हैं

अतः उपरोक्त प्रकरण उच्चधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-3- यूईपीपीसीबी मुख्यालय मे अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यभार का निर्धारण नहीं होना।

यूईपीपीसीबी मुख्यालय की लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आया कि मुख्यालय मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्यभार का निर्धारण नहीं हुआ था जिसके कारण मुख्यालय मे अभिलेखों का रख रखाव एवं बजट का पूर्व निर्धारण एवं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समय से प्रस्तुतीकरण नही हो पा रहा था।

संप्रेक्षा मे इंगित किए जाने पर बोर्ड ने उत्तर दिया कि कार्यालय मे कोई incumbency रजिस्टर (कार्यभार पंजिका)तैयार नहीं किया गया है, कार्यों का निर्धारण मानव शक्ति की कमी के कारण नहीं किया जा सका। आगामी बैठक मे उचित प्रस्ताव लाकर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

बोर्ड का उत्तर स्वयं स्पष्ट है।

अतः प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -4: रु. 2670896 अनियमित व्यय।

बोर्ड की 18वी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार बोलेरों वाहन क्रय पत्रावली ueppcb/ho/Gen-364 की जांच मे पाया गया कि कुल रुपए 2670896.29 की धनराशि मे वर्ष 2016 मे कुल 04 वोलेरों वाहन खरीदे जाने के विरूद्ध केवल दो वाहनो की अनुमति प्रदान की गयी थी। अतः सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत का अभाव मे उक्त खरीद अनियमित थी।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर बोर्ड ने उत्तर दिया की संबन्धित कार्मिक से सूचना एकत्रित कर प्रेषित कर दी जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि असंगत है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 5: वाहन लॉग बुक एवं रु 89062/- उक्त धनराशि में बिलों के भुगतान के अनुसार परिवर्तन किया गया है धनराशि के बिलों मे नियमित रूप से किया जाने वाला सत्यापन वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मंत्री वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण,श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण आयुष एवं आयुष शिक्षा ,उत्तराखंड द्वारा किया जाना ।

अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि वाहन लॉग बुक एवं रु 89062/- की धनराशि के बिलों मे नियमित रूप से किया जाने वाला सत्यापन वरिष्ठ निजी सचिव मा० मंत्री वन एवं वन्य जीव ,पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण,श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण आयुष एवं आयुष शिक्षा ,उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है।

उपर्युक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि उक्त अधिकारी लॉग बुक एवं उक्त बिलों को सत्यापित करने के लिए किस नियम/आदेश के अंतर्गत अधिकृत है एवं बोर्ड के अधिनियमित उद्देश्यों की पूर्ति मे किस प्रकार सहायक है इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया कि उक्त संबंध मे जांचोपरांत कार्यवाही कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**
ए.बी.जी./22/2007-08	--	1,2,3,4,5,6
ए.बी./46/2010-11	-	1,2
AIR/SS/UEPPCB/2015-16/215	-	1,2 And STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..................................शून्य ....

भाग-V

आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

1.विगत लेखापरीक्षाओं के अनिस्तारित प्रस्तरों एवं नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालन आख्या।

2.सभी क्षेत्रियों कार्यालयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्रों मे संचालित होने वाले उद्योगों को संचालन के स्थापनार्थ तथा संचालन हेतु दी जाने वाले सहमति संबंधी सूचना।

3.वर्ष 2015-16,2016-17,2017-18 एवं 2018-19 बजट प्रस्ताव जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

4.विभिन मदों मे आय संबंधी अभिलेख

5. बोर्ड की 19 वी बैठक दिनांक 27.02.2018 के कार्यसूची संख्या 19.13 के अनुसार माननीय मंत्री वन एवं पर्यावरण हेतु वहाँ क्रय करने एवं इस पर रुपए 1594000.00 के व्यय की कार्येत्तर स्वीकृति तथा मंत्री हेतु 01 वाहन 01 वाहन चालक 01 लिपिक /डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 02 अनुशेवक 03 माली को outsource agency से लिए जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, से संबन्धित सूचना/ अभिलेख को आगामी लेखा परीक्षण मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहेगा।

6. बोर्ड मे अर्जित आय पर देय आयकर की छूट प्राप्त करने हेतु आयकर विशेषज्ञ की तैनाती से संबन्धित पत्रावली/ सूचना आगामी लेखा परीक्षण मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहेगा।

7. बोर्ड की 16 वी बैठक के बिन्दु 16.4 के संदर्भ (कार्मिकों की भर्ती एवं ACP से संबंधित) मे मांगी गयी पत्रावली/ सूचनाएँ आगामी लेखा परीक्षण मे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहेगा।

8. वर्ष 2017-18 के Trial Balance के मदों Lab Equipment(Rs 223953.00), Lab Equipment Project(1234428.00) से संबंधित पत्रवालिया

9. वर्ष 2017-18 के Trial Balance मे दर्शायी गयी Retaintion Money के मद मे Rs 99630.00 से संबंधित पत्रवालियाँ

सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

1. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री विनोद सिंघल आईएफ़एस	सदस्य सचिव	23/11/2012 से 09/11/2017 तक
2.	श्री एस.पी.सुबुधी आईएफ़एस	सदस्य सचिव	10/11/2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति मुख्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.